रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 1987/चैत्र 25, 1909
No. 81] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 1987/CHAITRA 25, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1987

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 15-ई. टी. सी. (पी. एन.)/87

विषय :—गैर-बासमती चावल की निर्यात नीति।

फाइल सं. 40/11/87-ई. 2:—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 13-ई. टी. सी./पी. एन./87, दिनांक 3 अप्रैल, 1987 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि गैर-बासमती चावल का निर्यात तत्काल से ही सीमित सीलिंग के भीतर अनुमित किया जायगा जो केवल 100% पुष्टिकृत अपरिवर्तनीय साख पत्र द्वारा समर्थित कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पास संविदाओं के पंजीकरण की शर्त के अधीन होगा।

3. तदानुसार, आयात एवं निर्यात नीति 1985—88 (खण्ड-2) के पृष्ठ-15 पर नीति विवरण की क्रम सं. 20(1) के सामने कालम 3 शर्त सं. 2(ख) का विवरण निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :—

"2(ख) गैर-बासमती चावल-निर्यात सीमित सीलिंग के भीतर अनुमित किया जाएगा जो केवल 100 प्रतिशत पुष्टिकृत अपरिवर्तनीय साख पत्र द्वारा समर्थित कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पास संविदाओं के पंजीकरण की शर्त के अधीन होगा।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 15th April, 1987

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 15-ETC|PN|87

Subject :—Export policy of Non-basmati rice.

F. No. 40|11|87-E.II.—Attention is invited to Public Notice No. 13-ETC|PN|87 dated 3rd April, 1987 on the above subject.

2. It has now been decided to allow with immediate effect the export of Non-basmati rice within a limited ceiling subject to registration of contracts with the Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi backed by 100 per cent confirmed Irrevocable Letter of Credit only.

3. Accordingly, the description of the condition No. 2(b) in column 3 against S. No. 20 (i) of Policy Statement at page 15 of the

Import and Export Policy 1985—88 (Vol. II) shall be amended as follows :—

"2(b)—Non-basmati Rice—Export will be allowed within a limited ceiling, subject to registration of contracts with the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority backed by 100 per cent confirmed Irrevocable Letter of Credit only."

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987